न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
उपस्थितः धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच0 जे0 एस0)
(JO CODE UP2002)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1073/2026
CNR No. UPGH010025552026

1– शम्भू यादव उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र रामराज यादव
2– प्रदीप यादव उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र सौदागर यादव
3– बब्लू यादव उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र शम्भू यादव
समस्त साकिनान ग्राम देवैथा, थाना जमानियां, जिला गाजीपुर।

–––––आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

1– उ.प्र. राज्य जरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गाजीपुर।
2– नौजादिक सिंह यादव पुत्र स्व० सिंहासन यादव निवासी ग्राम देवैथा, थाना जमानियाँ, जिला गाजीपुर।

–––––विपक्षीगण

मु०अ०सं०–150/2026
धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3) 118(1), 109(1) भारतीय न्याय संहिता
थाना–जमानियाँ, जनपद गाजीपुर।
अभियुक्तगण की ओर सेः श्री अखिलेश राय, एडवोकेट
राज्य की ओर सेः श्री कृपाशंकर राय, जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

17–06–2026 **आदेश**

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण शम्भू यादव, प्रदीप यादव व बब्लू यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–150/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 118(1), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना जमानियाँ, जिला गाजीपुर के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नौजादिक सिंह यादव द्वारा संबंधित थाना पर इस आशय का अभियोग दर्ज कराया गया कि दिनांक 17–05–2026 को समय दोपहर 01:00 बजे आराजी नं–186 मौजा देवैथा वाद संख्या T202414290302895 नौजादिक वगै० बनाम रामू वगै० अंतर्गत धारा 20/24 रा०सं० में पारित आदेश दिनांक 30–09–2025 के अनुपालन हेतु राजस्व टीम व पुलिस बल मौके पर उपस्थित थी। पत्थरगड़ी की कार्यवाही होनी थी। प्रार्थी खुद व अपने पुत्रों व परिवार के साथ मौजूद था। जैसे ही पत्थरगड़ी की कार्यवाही प्रारम्भ हुई ही थी कि विपक्षीगण एक राय होकर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डा, धारदार हथियार व गड़ासा लेकर विपक्षीगण सौदागर यादव, शम्भू यादव, रामू यादव पुत्रगण स्व० रामराज यादव, प्रदीप यादव पुत्र सौदागर यादव, बब्लू यादव, विजय यादव पुत्रगण शम्भू यादव व शीला देवी पत्नी रामू यादव हमलावर होकर गाली गलौज करते हुए प्रार्थी व उसके बच्चों व भतीजा चोटिल हो गये।प्रार्थी का भतीजा अजीत यादव पुत्र सियाराम यादव व प्रार्थी का पुत्र विशाल यादव पुत्र नौजादिक यादव गंभीर रूप से घायल हो गये है और खेत में लहुलुहान होकर बेहोश हो गये। मौके पर गाँव के लोग लेखपाल व कानूनगो पुलिस बीच बचाव किये। तब विपक्षीगण प्रार्थी व उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण सौदागर यादव, शम्भू यादव, रामू यादव, प्रदीप यादव, बब्लू यादव, विजय यादव व शीला देवी के

विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–150/2026, धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 118(1), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना जमानियाँ, जिला गाजीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उनके द्वारा उक्त आशय का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। कथित घटना पैमाईश के समय कथित होना कहा गया जब कि उस वक्त काफी संख्या में पुलिस बल पर उपस्थित होता है जो कि कथित घटना को असत्य प्रतीत करता है। वादी मुकदमा द्वारा राजस्व की टीम एवं पुलिस बल को मिलाकर मनमाना ढंग से पत्थगढ़ी की कार्यवाही की जाने लगी, जिसका विरोध आवेदकगण/अभियुक्तगण के परिवारीजनों द्वारा किया गया। पुलिस बल द्वारा भी राजस्व टीम को सही ढंग से पैमाईश करने की हिदायत दी गयी, लेकिन वादी मुकदमा एवं उसके परिवारीजन राजस्व टीम को मिलाकर गलत पैमाईश कराकर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कराना चाहते थे। मौके पर गांव के काफी लोग इकट्ठा थे। वादीगण द्वारा जब पैमाईश एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही मे जबरदस्ती की जाने लगी तब पुलिस द्वार बल प्रयोग किया गया, जिससे वादी पक्ष के लोगों को मामूल चोटे आयी। पुलिस ने अपने बचाव मे अपने द्वारा किये गये बल प्रयोग को छिपाने के लिए वादी मुकदमा को साजिश में करके यह प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के तरफ से इस मुकदमे के तथाकथित चोटिलों के शरीर पर जान मारने के नियत से लाठी, डण्डा एवं धारदार हथियार गड़ासा से हमला नहीं किया गया है और न ही चोटे पहुंचायी गयी है। अगर उक्त घटना में इन हथियारों का प्रयोग किया गया होता और पुलिस बल की मौजूदगी रही है, लेकिन कोई धारदार हथियार गड़ासा एवं लाठी, डण्डा की बरामदगी आवेदकगण/अभियुक्तगण के कब्जे से हुई होती, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी मे तथाकथित घटना कारित होना होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। मजरूबों को कोई भी चोट प्राणघातक चोट नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण एक ही परिवार के व्यक्ति है तथा वादी मुकदमा से पुरानी रंजिश खेत के डाढ़ा मेढ़ा के विवाद को लेकर बहुत पहले से चला आ रहा है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 19–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिजनों को बुरी तरह से मारपीट कर गम्भीर चोटों पहुँचायी गयी है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

5– मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, इंजरी रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पर चोटहिल अजीत यादव व विशाल यादव को जान मारने की नीयत से लाठी–डण्डा व धारदार हथियार से मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुँचाने का आरोप है। इंजरी रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटहिल अजीत यादव के शरीर पर 05 चोटे आना बताया गया है जिसमें प्रथम चोटे लेसेरेटड वुंड की माथे पर, द्वितीय चोट लेसेरेटड वुंड की पेराईटल बोन पर, तीसरी चोट बाँये अंगूठे पर, चौथी चोट दाहिने बाँह में दर्द की शिकायत होने की व पाँचवी चोट पूरे शरीर में दर्द की शिकायत की होना बताया गया है तथा मजरूब को एन०सी०सी०टी० हेड के लिये रेफर किया गया था। उक्त सभी चोटे साधारण प्रकृति की होना बताया गया है। इसी प्रकार मजरूब विशाल यादव के शरीर पर मात्र एक चोट होना बताया गया है जोकि माथे के बीच भाग में आयी है और इस मजरूब को भी एन०सी०सी०टी० हेड के लिये बी०एच०यू० रेफर किया गया है। दोनों मजरूबों के एन०सी०सी०टी० के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त रिपोर्ट में कोई भी असामान्यता नहीं पायी गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि मामले में विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप पत्र केस डायरी में संलग्न है। ऐसी स्थिति में अग्रेतर विवेचना की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है

कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रदीप यादव व बबलू यादव का एक–एक मामले का आपराधिक इतिहास दर्शित किया गया है, परन्तु जहाँ तक आवेदकगण/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास का प्रश्न है, इस संबंध में **माननीय उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था पवन कुमार पाण्डेय बनाम उ० प्र० राज्य** 2007 (1) JIC 680 (Lucknow Bench) में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 19–05–2026 से जेल में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि मामले में विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की सम्भावना नहीं है, गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

6– अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण शम्भू यादव, प्रदीप यादव व बब्लू यादव द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक को मुब० 1,00,000/– रूपये का स्व बंधपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P and Another (2025 SCC Online ALL 5286)** व **Pappu Met @Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No. 15205 of 2025 Judgement dated 11 December 2025** में प्रतिपादित सिद्धातों के दृष्टिगत सम राशि की एक–एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाता है कि –

(क)– आवेदकगण/अभियुक्तगण इस प्रकार का अपराध दोबारा नहीं करेगा।

(ख)– आवेदकगण/अभियुक्तगण साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा अथवा मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

(ग)– जब तक कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी, वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

दिनांकः 17–06–2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर
JO CODE UP2002

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.17 19:23:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court